भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 522

बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की स्थिति

522. श्री हमदुल्ला सईदः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने घरों को सौर रूफटॉप प्रणालियाँ प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीएम-एसजीएमबीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन और लाभार्थियों को राजसहायता का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) तथा (ख): प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) फरवरी, 2024 में शुरू की गई थी।

फरवरी 2024 में इस योजना के शुरू होने के बाद से, दिनांक 14.07.2025 तक, कुल 15,45,517 परिवार रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना से लाभान्वित हुए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) तथा (घ): सरकार ने पीएमएसजी: एमबीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो रेट प्लस 50 बीपीएस अर्थात् वर्तमान में वार्षिक 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संपार्श्विक मुक्त (कोलेट्रल-फ्री) ऋण की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके, विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल जनबल (मैन-पावर) तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन, टीवी विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉम सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत, आवेदन से लेकर सब्सिडी वितरण तक की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन है।

इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना पूरी होने के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है।

<u>**अनुलग्नक**</u>

'प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की स्थिति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 522 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 14.07.2025 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य/केन्द्र राज्य क्षेत्र-वार प्रगति

क्र. सं.	**राज्य**	**लाभान्वित परिवारों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	37,257
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	24,407
4	बिहार	8,481
5	छत्तीसगढ़	4,974
6	गोवा	943
7	गुजरात	5,23,615
8	हरियाणा	27,858
9	हिमाचल प्रदेश	3,313
10	झारखंड	640
11	कर्नाटक	15,745
12	केरल	1,19,453
13	मध्य प्रदेश	49,811
14	महाराष्ट्र	3,71,954
15	मणिपुर	405
16	मेघालय	21
17	मिजोरम	383
18	नागालैंड	22
19	ओडिशा	9,172
20	पंजाब	7,787
21	राजस्थान	59,260
22	सिक्किम	9
23	तमिलनाडु	38,323
24	तेलंगाना	22,648
25	त्रिपुरा	550
26	उत्तर प्रदेश	1,64,646
27	उत्तराखंड	37,163
28	पश्चिम बंगाल	713
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	75
30	चंडीगढ़	615
31	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	375
32	जम्मू और कश्मीर	7,606
33	लद्दाख	651
34	लक्षद्वीप	473
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,943
36	पुदुचेरी	1,226
कुल		**15,45,517**

*****